International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 10 Issue 1 Ser. II || January. 2021 || PP. 69-74

19वीं एवं20वीं शताब्दी के अछूत सामाजिक सुधारक एवं उनका अछूतोद्वार हेतु आन्दोलनः

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

भारतीय समाज व्यवस्था के अन्तर्गत विभेदकारी वर्ण व्यवस्था में चार वर्णों में से शूद्र अन्तिम वर्ण है, जिनको अछूत, वंचित, नीच, चांडाल अस्पृश्य आदि नामों से पुकारा गया। शूद्रों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया एक सछूत शूद्र और दूसरा अछूत शूद्र। पिछड़ी जातियां शूद्र वर्ण का ही अंग है। चारों वर्णों में आदर एवं अनादर की श्रृंखला सदैव के लिए दृढ़ एवं नियमित कर दी गई। 'जिस प्रकार चांडाल को छूना पाप है, उसी प्रकार इससे बोलना और उसे देखने से पाप होता है इसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है।'[1] कालान्तर में अछूतों का अधिकांश भाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया।

अछूतों की उपेक्षा एवं अपमान का वर्णन मनुस्मृति में इस प्रकार किया गया है, 'उन्हें गांव या बस्ती के अन्दर नहीं रहना चाहिए। वर्णसंकर जातियों का गांव के पास प्रसिद्ध, श्मशान, पहाड़ और उपवनों में अपने–अपने कर्म करते हुए निवास करना चाहिए।'[2]

समस्त शूद्र वर्ण पिछड़ा वर्ग सहित को अपने इच्छानुसार शिक्षा ग्रहण करने या अपने परिवार एवं समाज की रक्षा करने हेतु शस्त्र धारण एवं सम्मानजनक आजीविका की स्वतन्त्रता नहीं थी।

'घी, दूध, पान और श्रेष्ठ अन्न शूद्रों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुःख होता है।'[3]

शूद्रों को अपमानित एवं प्रताड़ित करने हेतु कठोर दण्ड विधान भी किया गया है।

'बिल्ली, नेवला, चिडिया, मेढंक, कुत्ता, गधा, उल्लू और कौवा मार डालने पर जितना पाप होता है उतना ही शूद्र को मार डालने पर होता है।'[4]

शूद्र दीन हीन निर्धन बना रहे, वह धन कमाने योग्य होने पर भी धन कमाकर धनिक न बन जाये यदि वह धनवान बन भी जाता है तो राजा उसका धन छीन ले और उसको देश से निकाल दे।

वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत शूद्रों को प्रत्येक प्रकार से उपेक्षित एवं वंचित कर सदियों से उनका सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक शोषण किया गया और वर्ण व्यवस्था को ईश्वरकृत व्यवस्था, पुनर्जन्म का सिद्धान्त, भाग्यवाद के दुष्चक्र में फंसाकर इतना दीन हीन बना दिया कि वह अन्याय के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं कर सके।

यद्यपि प्रत्येक काल में इस भेदभाव पूर्ण एवं शोषणकारी वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ लेकिन 19 वीं एवं 20 वीं शताब्दी में अछूत एवं पिछड़े समाज में पैदा हुए अनेक समाज सुधारकों एवं चिन्तकों ने अछूतों के उद्धार, उत्थान एवं उनके लिए समान सम्मानजनक जीवनयापन हेतु अनेक आन्दोलन चलाये एवं वर्ण व्यवस्था की विसंगतियों का जबर्दस्त विरोध एवं इसको समूल उखाड़ फेंकने के अथक प्रयास किये। प्रमुख समाज सुधारकों में जोतिबा फुले, नारायण गुरू, छत्रपति शाहूजी महाराज, स्वामी अछूतानंदए मदारी पासी, पेरियार ई0वी0 रामास्वामी नायकर, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं कांशीराम आदि प्रमुख थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले : आधुनिक भारत के दलितोत्थान हेतु सामाजिक आन्दोलन के इतिहास में ज्योतिबाफुले का सर्वोच्च स्थान है। इनका जन्म 20 फरवरी, 1827 को पूना में एक माली परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम गोविन्दराव फुले एवं माता चिमनाबाई थीं। पत्नी सावित्रीबाई उनकी न सिर्फ जीवन साथी थीं, बल्कि आन्दोलन में भी साथ निभाया। ज्योतिबा फुले ने शूद्रों, दलितों एवं शोषितों की दुर्गति को एक सारगर्भित गंद्यांश के रूप में व्यक्त किया –

'विद्या विनामति गयी,
मति बिना नीति गई।
नीति बिना गति गई,
गति बिना वित्त गया।
वित्त बिना शूद्र हताश हुए,
और गुलाम बनकर रह गये।
अर्थात् इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ।'[10]

फुले के अनुसार भारत में दलितों पिछड़ों की दयनीयता, निर्धनता, जड़ता आदि का कारण अज्ञानता ही है। उनके मत में शिक्षा द्वारा ही क्रान्ति संभव है। उन्होंने कहा 'एक गुलाम को शिक्षा दे दो, वह क्रान्तिकारी बन जाएगा। वह सड़ी–गली सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करेगा और अपना रास्ता खुद चुन लेगा।'[11] सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित कर 1 जनवरी, 1848 को लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय खोलकर सामाजिक क्रान्ति का शुभारम्भ किया, तत्पश्चात 15 मई, 1848 को पुणे की एक दलित बस्ती में दूसरा स्कूल खोला। 1852 ई0 तक उन्होंने 18 विद्यालयों की

स्थापना की। दलित आन्दोलन के इतिहास में यह मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि सदियों से शूद्रों–अतिशूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया था। ज्योतिबा फुले के अनुसार शूद्रों एवं अतिशूद्रों की दुर्दशा का कारण धार्मिक बाह्य आडम्बर थे। इसलिए उन्होंने 23 सितम्बर, 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना पूना में की। जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे–

1. ईश्वर एक है। वह सर्वव्यापी, निर्गुण, निर्विकार और सरल स्वरूप है। यही प्राणी मात्र में व्याप्त है।
2. प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर भक्ति का अधिकार है। सर्वसाक्षी परमेश्वर की प्रार्थना और चिन्तन के लिए किसी माध्यय की, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है।
3. मनुष्य जाति के गुण उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं।
4. कोई भी ग्रंथ न तो ईश्वर– प्रणीत है, न वह पूर्णरूपेण प्रमाण के रूप में उपलब्ध है।
5. परमेश्वर शारीरिक रंग–रूप से अवतार धारण नहीं करता।
6. पुनर्जन्म, कर्मकाण्ड, जप–तप या धर्म–गोष्ठियाँ अज्ञान मूलक है। सभी जाति और धर्म के अनुयायी 'समाज' के सदस्य बन सकते हैं।[12]

ज्योतिबा फुले का मूल विचार उनकी मौलिक रचना 'गुलामगीरी' एवं 'किसान का कोड़ा' में संग्रहीत है। ज्योतिबा फुले ने संघर्ष हेतु शूद्र–अतिशूद्र बनाम सेठ जी भट्ट जी का नारा दिया। इतना ही नहीं उन्होंने ब्राह्मणों को 'कलम कसाई' का नाम दिया।[13] यद्यपि ज्योतिबा फुले कम पढ़े लिखे थे, तथापि बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें अपना तीसरा सामाजिक गुरू माना। महात्मा ज्योतिबा फुले का देहान्त 27 नबम्बर, 1890 ई0 को हुआ।

इस प्रकारकहा जा सकता है कि आधुनिक भारत में दलित राजनीति की सामाजिक आन्दोलनात्मक पृष्ठभूमि का प्रारम्भ ज्योतिबा फुले से माना जा सकता है।

नारायण गुरू : नारायण गुरू दक्षिण भारत के केरल राज्य में सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 26 अगस्त, 1855 में चेम्पाझाँती, केरल में हुआ थ। इनके पिता का नाम मा0 मदन आसन एवं माता कुट्टी अम्मा थीं। नारायण गुरू ने सदियों से चली आ रही मान्यता कि 'जाति व्यवस्था मानवकृत न होकर भगवान की देन है', को मानने से इन्कार किया और इसे मानव की अज्ञानता का कारण बताया। वे एक महान बुद्धिवादी मार्गदर्शक के साथ–साथ समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने समस्त दक्षिणी भारत में भ्रमण कर शोषित मानव जाति को स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व का सन्देश दिया। उन्होंने समाज में फैले जातिभेद, छुआछूत, रूढ़िवादी परम्परा, सामन्तवाद और अन्याय का घोर विरोध किया। उन्होंने सदियों से गुलाम बनाये गये लोगों में नव चेतना एवं शिक्षा के प्रचार हेतु श्री नारायणा धरमा परिपालन योगम, नारायणा गुरूकुल तथा नारायणा धरमा संगम जैसी संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने तिरस्कृत लोगों के लिए अजेगो, कुलाथूर, सिरतालिया, पालूरूथी, त्रिचूर, पालघाट, तेजीचेरी, मंगलौर तथा अन्य स्थानों पर अनेक मन्दिर बनवाये। उनकी मूल मान्यतायें इस प्रकार थी–

1. दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है
2. आत्म ज्ञान महत्वपूर्ण है।
3. पूर्ण ज्ञान का आदान प्रदान ही संचेतना है।
4. बुद्धिमान एवं विवेकशील व्यक्ति सांसारिक चकाचौंध से मुक्त रहते हैं।
5. ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, बल्कि वह सदैव बुद्धि को अग्रसर करता है।
6. संसार परिवर्तनशील है।
7. शिक्षा को ग्रहण कर सभी प्राणी श्रेष्ठ एवं शुद्ध विचारों से ओत–प्रोत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका दृष्टिकोण भी बदल जाता है।

इस प्रकार नारायण गुरू ने मानवजाति की एकता एवं सत्य को धर्म एवं ईश्वर का आधार बताया। उनका निधन 20 सितम्बर, 1928 को हुआ। उनकी प्रेरणा दलित समाज को साहस, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।

छत्रपति शाहू जी महाराज : सम्राट अशोक के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने विषमता पर आधारित हिन्दू समाज को चुनौती दी तथा दलित–बहुजनों के उत्थान हेतु ब्राह्मणवादी अवरोधों के बावजूद निर्भीकतापूर्वक जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। इनका जन्म 26 जुलाई 1874 ई0 को कोल्हापुर के राजा छत्रपति अप्पा साहब के घर हुआ, इनकी माता का नाम राधाबाई था। इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रपोत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। तत्कालीन समाज में शाहूजी महाराज को ब्राह्मण समाज शूद्र समझकर घृणा करता था। यह बात उन्हें चुभती थी। उन्होंने इस समाज व्यवस्था को चुनौती के रूप में लेते हुए अपनी रियासत में दलितों–पिछड़ों को मान–सम्मान के साथ जीने का अधिकार तथा शिक्षा, सत्ता–सम्पत्ति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई। इसके लिए उन्होंने भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम अपनी रियासत में 26 जुलाई 1902 को पचास प्रतिशत पिछड़े वर्गों को आरक्षण लागू किया। आरक्षण सम्बन्धी आदेश में शाहूजी महाराज ने कहा, 'आदेश पारित होने की तिथि अर्थात् 26 जुलाई 1902 से ही राज्य की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ सभी पदों पर पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नियुक्त कर भरी जाय। जिस विभाग में पिछड़े वर्ग के सदस्य पचास प्रतिशत से कम होंगे, उसमें आगे की नियुक्तियाँ उसी वर्ग के लोगों से की जायेंगी। इस आदेश के पालन के संदर्भ में ब्राह्मण, प्रभू, शेनावी, पारसी एवं अन्य विकसित वर्ग के लोगों का छोड़ कर सारी जातियाँ पिछड़े वर्ग में सम्मिलित समझी जायेंगी।'[14]

छत्रपति शाहू जी महाराज ने दलितों की शिक्षा हेतु 122 ग्रामीण पाठशालाओं की स्थापना की तथा प्रत्येक गाँव में स्कूल खोलने हेतु एक लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया। उच्च शिक्षा हेतु 1915 ई0 में फर्ग्युसन कॉलेज की

स्थापना की तथा छात्रावास का निर्माण करवाया। 1917 ई0 में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की, इसका परिणाम यह हुआ कि 'जहाँ 1894 ई0 में ब्राह्मण छात्रों की संख्या 2522, पिछड़ी जाति 8088 और अछूत 234 थी, जो 1922 ई0 में बढ़कर ब्राह्मण छात्रों की संख्या 2722, पिछड़ी जाति 21027 और अछूत 2162 हो गये।[15]

शाहू जी ने 8 अक्तूबर, 1919 को सरकारी आदेश जारी कर अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों कुओं, धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि के उपयोग करने की छूट दे दी। इतना ही नहीं उन्होंने 22 अगस्त, 1919 को एक आदेश में कहा'' सभी पदाधिकारी, चाहें वे राजस्व के हो या न्याय संबंधी या फिर अन्य विभाग के, वे राज्य की नौकरियों में अब से अछूतों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों से भेदभाव नहीं बरतेंगे। वे उनके साथ समता तथा समानता का व्यवहार करेंगे। यदि सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी को सरकार के इस आदेश से आपत्ति है, या इस आदेश का पालन नहीं कर सकता, तो उसे छः सप्ताह के अन्दर नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे देना होगा तथा वह कोई भी पेंशन पाने का अधिकारी नहीं होगा। महाराज चाहते हैं कि मनुष्य के साथ मनुष्यता का ही व्यवहार हो, पशुता का नहीं।[16]

6 नवम्बर, 1919 को शाहू जी ने सभी नगर–निगमों को निर्देश जारी किया कि 'वह अपने अछूत कर्मचारियों के लिए भविष्यनिधि की व्यवस्था करें ताकि उनका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सके और वे अपना विकास कर सकें।'[17]

शाहू जी की इन जन–कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर रानी विक्टोरिया ने मई, 1900 ई0 में अपने जन्म दिन के मौके पर आयोजित समारोह में 'महाराज' की उपाधि से विभूषित किया था।

समाज में गैर–बराबरी दूर कर समानता तथा न्याय पर आधारित सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना हेतु छत्रपति शाहू जी महाराज का आजीवन संघर्ष करते हुए मात्र 48 वर्ष की आयु में 6 मई, 1922 ई0 को देहान्त हो गया।

स्वामी अछूतानन्द :'आदि–हिन्दू' आन्दोलन के जनक स्वामी अछूतानंद का जन्म चमार जाति में 6 मार्च, 1876 ई0 को फर्रूखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल तथा माता का नाम रामप्यारी था। इनका बचपन का नाम हीरालाल था।इन्होंने 'आदि–हिन्दू' आन्दोलन के नाम पर दलितों एवं पिछड़ों को संगठित किया एवं बाह्य आडम्बरपूर्ण समाज व्यवस्था को समाप्त कर लोगों को साहसी स्वाभिमानी और स्वाबलंबी बनाने का प्रयास किया। वे कबीर की तरह लोगों को संगीत एवं शौर्ययुक्त नाटक के माध्यम से लोगों में जनजागरण पैदा किया करते थे। इनका देहान्त 22 जुलाई, 1933 ई0 को हुआ।

मदारी पासीःऐतिहासिक 'एका आन्दोलन' के प्रवर्तक मदारी पासी का जन्म पासी जाति में सन् 1860 ई0 में उ0 प्र0 के हरदोई जिले के मोहनखेड़ा नामक गांव में हुआ, इनके पिता का नाम मोहनलाल तथा माता का नाम यशस्वी था। उस समय उत्तर भारत में जमीदारों और साहूकारों के अन्याय एवं अत्याचारों से किसान और खेतिहर मजदूर त्रस्त थे। मदारी पासी ने किसानों और मजदूरों को जमीदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के विरोध में शान्तिमय आन्दोलन चलाने हेतु 'एका आन्दोलन' का संचालन किया। एका आन्दोलन में चमार, पासी, अहीर, गड़रिया, लोहार, कुर्मी, भंगी, माली, काछी, कहार, नाई, धोबी, कुम्हार तमोली, ठाकुर, ब्राह्मण और मुसलमान समान रूप से उनके साथ आ जुटे और उन्होंने लम्बी अवधि तक सामाजिक क्रान्ति का कुशल नेतृत्व किया। यद्यपि मदारी पासी शस्त्र (धनुष–बाण, तलवार, लाठी) चलाने में कुशल थे, तथापि वे आजीवन अहिंसा और शान्ति के समर्थक बने रहे। इनका देहान्त सन् 1930 ई0 में हुआ।

पेरियार ई0 वी0 रामास्वामी नायकर :भारत में 'स्वाभिमान आन्दोलन' के जन्मदाता पेरियार ई0 वी0 रामास्वामी नायकर का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रान्त के ईरोडु नगर में 17 सितम्बर, 1879 ई0 में हुआ था। इनके पिता वेंकटा नायकर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारी थे तथा माता का नाम चिन्नत् तायम्माल था। रामास्वामी अपने बाल्यकाल से ही प्रचलित कर्मकाण्डों, पूजा–पाठों और इसके माध्यम से दलितों एवं पिछड़ों के शोषण के धोर विरोधी थे। शूद्रों, अछूतों, उपेक्षितों के बीच निरन्तर जाना और वैज्ञानिक दर्शन का ज्ञान देना उनका दैनिक कार्यक्रम बन गया था। प्रारम्भ में पेरियार कांग्रेस पार्टी में ही कार्य करते थे, बाद में उन्हें यह आभास हुआ कि यह कांग्रेस राष्ट्रीयता का आवरण ओढ़े आर्य ब्राह्मणों की जातीय अहंकार एवं वर्चस्व के सम्मोहन से ग्रसित है, जिससे गरीब, अछूत एवं पिछड़ी जनता का सिर्फ उपयोग किया जा सकता है न कि उसका उत्थान। ब्राह्मणवादी नेताओं से अछूत पिछड़ों की समस्याओं पर मतान्तर के कारण कांग्रेस से 1925 ई0 में त्यागपत्र देते हुए कहा 'कांग्रेस गैर ब्राह्मणों का कोई हित नहीं कर सकती अतः मेरा सर्वोपरि कर्त्तव्य होगा कि मैं कांग्रेस को नष्ट करूँ।'[18] कांग्रेस से त्यागपत्र के पश्चात् उन्होंने अपना स्वतंत्र 'आत्म–सम्मान' नाम से आन्दोलन शुरू किया, इसके लिए आत्म–सम्मान संघर्ष समिति का गठन किया। 1929 ई0 में आत्म–सम्मान संघर्ष समिति के प्रथम अधिवेशन में ध्वाजारोहण करते हुए कहा 'इस आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य आर्य–ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न की गई सामाजिक बुराईयों का निराकरण है। आर्य–ब्राह्मण अन्य सभी जातियों से अपने को श्रेष्ठ मानता है। इस प्रकार की विभेदकारी नीति से समाज के सामान्य व्यक्तियों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। यह आन्दोलन इन अपमानजनक व्यवहारों से मुक्ति दिलाने के लिए कृत–संकल्प है।'[19]

अछूत पिछड़ों में स्वाभिमान पैदा करने हेतु पेरियार ने कहा, 'प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि वह अपना जीवन स्वतन्त्रता पूर्वक बिताये। शिक्षा से ही अछूत–पिछड़े वर्ग में आत्म सम्मान और स्वाभिमान जैसे मानवीय मूल्यों का विकास हो सकता है। इसलिए हमें आज मंदिर की नहीं बल्कि स्कूल की जरूरत है। केवल ज्ञान से ही हम बहुत से चमत्कार कर सकते हैं। यदि वे (आर्य–ब्राह्मण) कहते हैं कि बायकोम मंदिर में नीची जातियाँ (अछूत एवं पिछड़ों) के प्रवेश से भगवान अपवित्र हो जायेगा तो वह भगवान नहीं हो सकता। वह तो महज एक पत्थर है और उसका इस्तेमाल सिर्फ मैले कपड़े धोने के लिए होना चाहिए।'[20] आगे उन्होंने सन् 1962 ई0 में ब्राह्मणी धर्म के बारे में कहा कि ''इस धर्म में केवल आर्य–ब्राह्मणों के विशेषाधिकार है तथा यह धर्म उनका पेट पालने का साधन है। आर्य–ब्राह्मण धर्म के आवरण में सर्वोच्च बने रहने का ढ़ोंग करते हैं। अब्राह्मणों अर्थात् मूलनिवासी बहुजनों अर्थात् अछूतों तथा शूद्रों आदि के

लिए इस ब्राह्मणी धर्म अर्थात् तथाकथित हिन्दू धर्म में केवल अपमान, घृणा, असमानता और अन्याय के अलावा कुछ भी नहीं। इस ब्राह्मणी धर्म में अब्राह्मणों को कभी भी आत्मसम्मान नहीं मिल सकता।''[21]

स्वभाव, विचार एवं तर्क की प्रतिभा ने उन्हें समाज सुधारक की लोकप्रियता प्रदान की, पेरियार रामास्वामी ने मनुवादी व्यवस्था द्वारा अछूतों के ज्ञानबल, धनबल और जनबल को समाप्त करने के उद्देश्य से फैलाई गई शराब पीने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए नशाबन्दी आन्दोलन चलाया। उन्होंने मनुवादी व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा ''जिन्होंने भगवान को बनाया है वे धूर्त है, भगवान का प्रचार करने वाले नीच व दुष्ट हैं, तथा उनकी पूजा करने वाले अनपढ़ व गंवार है।[22] अपने दलित पिछड़े नेतृत्व के कारण कांग्रेस से नवम्बर, 1925 में अलग हो गये, और जस्टिस पार्टी के सहयात्री के रूप में अपना आन्दोलन चलाते रहे। ऐसे क्रान्तिकारी समाज सुधारक का देहावसान 24 दिसम्बर, 1973 ई0 को बेल्लोर में हुआ।

डॉ0 भीमराव राम जी अम्बेडकर :प्रायः यह कहा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों का दास होता है किन्तु प्रत्येक काल एवं समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो परिस्थितियों से समझौता करने के स्थान पर उसमें निहित विरोधाभास, शोषण एवं अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करते हैं तथा रूढ़िगत वैचारिकी के वाहक बनने की अपेक्षा उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन के सूत्रधार बनते हैं। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आधुनिक काल के ऐसे ही महामानव थे, जिन्होंने काल एवं समाज की स्थापित व्यवस्था एवं वैचारिकी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे महामानव का जन्म 14 अप्रैल, 1891 ई0 को मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले के महू सैनिक छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजीराव मालोजी राव तथा माता का नाम भीमाबाई था। प्रारंभिक शिक्षा एवं जीवन अभाव एवं तिरस्कार के वातावरण में बीता, लेकिन मेधावी एवं लगनशील होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी वे अध्ययनरत रहे। उनकी मेधा एवं लगन से प्रभावित होकर सयाजी राव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा।इस क्रम में उन्होंने एम0 एससी0, डी0 एससी0, बारएट–लॉ तथा पी–एचडी0 की उपाधियाँ प्राप्त की।

शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त वे प्रारंभ में अन्य समाज–सुधारकों की तरह हिन्दू समाज–व्यवस्था में रहकर सुधार चाहते थे, जिसका प्रथम दृष्टांत 1927 ई0 के महाड़ सत्याग्रह के रूप में दृष्टिगोचर होता है। दलितों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा 'हम तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं कि हम भी औरों की तरह मनुष्य है, और मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं। अछूत समाज हिन्दू धर्म के अन्तर्गत है या नहीं, इस प्रश्न का हम हमेशा के लिए फैसला करना चाहते हैं।''[18] बम्बई सरकार ने 11 सितम्बर, 1923ई0 को एक प्रस्ताव पारित कर सार्वजनिक पैसों से संचालित संस्थायें– कोर्ट, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, धर्मशाला, कुयें, जलाशय, पनघट इन स्थानों में प्रवेश करने तथा उनको उपयोग करने का अधिकार अछूतों को भी दिया। परन्तु चबदार तालाब के पानी का उपयोग सवर्ण हिन्दुओं के भय से अछूत तालाब के पानी को छूने का साहस भी नहीं करते थे। इसी संदर्भ में महाड में 19–20 मार्च, 1927 ई0 को डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में दलित सत्याग्रह सम्मेलन की बैठक हुई, उसमें आह्वान किया गया 'ऐसे प्रयत्न किया जाय जिससे हमारे बाल–बच्चे हमसे अधिक अच्छी अवस्था में जीवन बिता सकें, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य के माता–पिता और पशु के नर–मादा में कोई अन्तर नहीं रहेगा।''[19] दूसरे दिन परिषद की बैठक में चवदार तालाब का अछूतों के प्रयोग के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने कहा 'हम अपने अधिकार की स्थापना करने तालाब पर जा रहे हैं, परन्तु आप लोगों को हर हालत में शान्त रहना चाहिए।'[20] लगभग पाँच हजार अछूतों का जुलूस तालाब की ओर चल दिया डॉ0 अम्बेड़कर तालाब के किनारे खड़े हो गये और फिर बैठकर तालाब का पानी हाथ की अन्जलि से लेकर पिया उसके बाद कइयों ने तालाब का पानी पिया फिर जुलूस शान्तिपूर्वक पण्डाल की ओर लौट गया। इसकी प्रतिक्रिया में सवर्ण हिन्दुओं ने जहां भी अछूत मिले उनको पीटना शुरू किया और उनके अन्न को मिट्टी में मिला दिया गया। दंगे की बात सुनते ही वे सहयोगियों के साथ पण्डाल की ओर दौड़ पड़े तथा दंगाइयों को शान्ति पूर्वक समझाने का प्रयास किया फिर भी गुण्ड़ों ने उन पर आक्रमण कर ही दिया, तत्पश्चात पुलिस ने कुछ दंगाईयों को गिरफ्तार किया। इस प्रकार अछूतोद्धार आन्दोलन में महाड़–ताल आन्दोलन एक मील का पत्थर था, जो अछूतों की मानसिक क्रान्ति का परिचायक था। 26 जून, 1927 ई0 को बहिष्कृत भारत में महाड़ तालाब को सनातनियों द्वारा धार्मिक विधि द्वारा शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हिन्दुओं का धिक्कार बताया, उधर महाड़ नगर पालिका के सवर्ण हिन्दुओं के दबाव में आकर 1924 ई0 का प्रस्ताव जिसके अनुसार अछूतों को पानी पीने की अनुमति दी गई थी, 4 अगस्त, 1927 को रद्द कर दिया। नगर पालिका के इस कार्य को डॉ0 अम्बेडकर ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पुनः सत्याग्रह के लिए 25 तथा 26 दिसम्बर, 1927 की तारीख निश्चित् की। इस अवसर पर उन्होंने कहा'' दक्षिण अफ्रीका की वर्ण भेद नीति की कटु आलोचना हिन्दू करते है, परन्तु देश में वे खुद वर्णभेद की नीति पर चलते हैं, हिन्दुत्व पर सवर्ण तथा अवर्ण हिन्दुओं का समान अधिकार है। सार्वजनिक जलाशय पर पानी पीने तथा मन्दिर प्रवेश का अधिकार स्थापित करना हमारा तुरन्त का कार्यक्रम है।''[21]

मनुस्मृति दहन :दलित सत्याग्रह सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा वर्ण व्यवस्था की परिपोषक और अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की पक्षधर मनुस्मृति के दहन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सामाजिक क्रान्ति की दिशा में यह अनोखी घटना थी। इस अवसर पर डॉ0 अम्बेडकर ने कहा 'मनुस्मृति अस्पृश्यों की सामाजिक, आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक दासता को जिन्दा रखती है। मनुस्मृति ने हिन्दुओं का सिर लज्जा से झुका दिया।'[22] सम्मेलन के निर्णयानुसार 25 दिसम्बर, 1927 को मनुस्मृति को जलाया गया। 'डॉ0 अम्बेडकर के सत्याग्रही स्वरूप को प्रकट करने वाला यह संघर्ष अधिकार प्राप्ति के लिए एक सफल प्रयोग ही नहीं, वरन अस्पृश्यता निवारण, अन्यायपूर्ण और क्रूर जाति प्रथा, सामाजिक, राजनीतिक जागृति एवं दलित शक्ति को प्रदर्शित करने वाला आन्दोलन था।'[23]

नासिक में 2 मार्च 1930 को डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में अछूतों की एक सभा हुई, जिसमें कालाराम मंदिर प्रवेश की घोषणा की गई। दोपहर को तीन बजे अछूतों का एक बड़ा जुलूस कालाराम मंदिर की ओर चल पड़ा, लेकिन व्यवस्थापकों ने मंदिर के दरबाजे बंद कर दिये, तथा मंदिर में सशस्त्र पुलिस का पहरा लगा दिया। सत्याग्रही मंदिर के चारों और इकट्ठे हो गये ओर लगातार एक महीना तक सत्याग्रह चलता रहा। राम नवमी के दिन मूर्ति–रथ का जुलूस निकालने की प्रथा थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने यह समझौता कराया था कि रथ को सवर्ण हिन्दू युवक और अछूत युवक दोनों मिलकर रथ खींचेगे, लेकिन समझौता भंग करते हुए सवर्ण हिन्दुओं ने अछूत युवकों पर आक्रमण कर दिया और रथ को संकीर्ण रास्ते की तरफ लेकर सवर्ण हिन्दू भाग गये फिर भी सत्याग्रही बाबा साहब के साथ रथ की ओर पहुंच गये, बाबा साहब को पत्थर मारा जिससे वे घायल हो गये। अन्त में सत्याग्रहियों की जीत हुई और 1931 ई0 में कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिये गये।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर प्रारंभ में हिन्दूधर्म में सुधार चाहते थे जैसा कि उपरोक्त गतिविधियों से स्पष्ट होता है। लेकिन 13 अक्टूबर 1935 को येवला में दलितों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था ''दुर्भाग्य से मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ यह मेरे बस की बात नहीं थी लेकिन हिन्दू धर्म की अपमानजनक एवं शर्मनाक स्थिति में रहने से इंकार करना मेरे बस में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूंगा।''[24] डॉ0 अम्बेडकर धार्मिक नेता न होते हुए भी उन्हें यह विश्वास था कि जब तक इन सड़ी–गली धार्मिक मान्यताओं के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक निम्न जातियों की दशा में सुधार नहीं किया जा सकता वे मानते थे 'धर्म व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति धर्म के लिए' उन्होंने यह भी कहा कि जो धर्म मनुष्य–मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा करता है। वह धर्म नहीं बल्कि मानवता के लिए अपमान है। बौद्ध धर्म को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में डॉ0 अम्बेडकर ने स्पष्ट करते हुए कहा 'मैं बौद्ध धर्म को पसन्द करता हूँ, क्योंकि इसमें तीन सिद्धान्तों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा (अन्धविश्वास तथा अतिप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग), करूणा (प्रेम) और समता (समानता) की शिक्षा देता है। मनुष्य इन्हीं बातों को एक शुभ तथा आनन्दित जीवन के लिए चाहता है। न तो देवता और न ही आत्मा समाज को बचा सकते हैं।'[25]यही कारण था कि 1955 ई0 में डॉ0 अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में पूरी आस्था व्यक्त करते हुए ''भारतीय बौद्ध महासभा'' की स्थापना की और 14 अक्टूबर, 1956 को अपने पाँच लाख अनुयाईओं के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस प्रकार डा0 अम्बेडकर ने असमानता पर आधारित हिन्दू धार्मिक मान्यताओं को हमेशा–हमेशा के लिए ठुकरा दिया। और कुछ समय बाद 6 दिसम्बर, 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया।

मा0 कांशी राम :मा0 कांशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली भारतीय दलितों की आवाज बनकर उभरे। 70 के दशक में पुणे में रक्षा विभाग की नौकरी छोड़ने के पश्चात दलितों के लिए संघर्ष करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने अपने पूर्व के दलित चिन्तकों के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वह समाज राजनीतिक तौर पर कभी सफल नहीं हो सकता।'[26] इस निष्कर्ष को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से BAMCEF (बामसेफ) 'अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग (अनु0 जाति, अनु0 जन–जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) और अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ' बनाने की परिकल्पना की और पाँच वर्षों तक गोपनीय ढंग से संगठन को मजबूत करते रहे। डा0 अम्बेडकर के 22 वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसम्बर, 1978 को दिल्ली में मा0 कांशीराम जी द्वारा औपचारिक रूप से BAMCEF (बामसेफ) की घोषणा की गई। बामसेफ शिक्षित कर्मचारियों का एवं कर्मचारियों द्वारा लेकिन उनके लिए नहीं, एक गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। बामसेफ की धारणा है' 'समाज को वापिस देना' (Pay Back to Society) इसके लिए बामसेफ एक प्रकार से दलित समाज का 'बुद्धि बैंक', 'प्रतिभा बैंक' एवं 'कोष बैंक' का काम करता है, जो बहुजन समाज के सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के मिशन को गति प्रदान करने हेतु संघर्षरत है। इस प्रकार बामसेफ शिक्षित एवं नियोजित बहुजनों का सामाजिक संगठन बना, जिसने कुछ ही वर्षों में विशेषकर उत्तर भारत में परम्परागत हिन्दू समाज–व्यवस्था को चुनौती दी। चूंकि बामसेफ सेवारत कर्मचारियों पर आधारित संगठन था, जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी नहीं बन सकता था, ऐसी स्थिति में मा0 कांशीराम ने इस के राजनीतिक निहितार्थ को पूरा करने के लिए 6 दिसम्बर, 1981 को डी0 एस0– 4 अर्थात् दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया और कहा ''शक्ति संघर्ष से पैदा होती है।'[27] समाज के सभी पक्षों के प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता हेतु डी0 एस0– 4 की दस शाखाओं का गठन किया– 1– जागृति जत्था, 2–सहकारिता जत्था, 3– पत्र–प्रकाशन, 4– संसदीय सम्पर्क शाखा, 5–विधिक सहायता एवं सलाह शाखा, 6–युवा मोर्चा, 7– महिला मोर्चा, 8– विद्यार्थी मोर्चा, 9– खेतिहर श्रमिक शाखा, 10– औद्योगिक श्रमिक शाखा।

इस प्रकार बामसेफ एवं डी0 एस0–4 पूर्व के सभी संगठनों से भिन्न था, क्योंकि यह संगठन बनाने वालों के लिए नहीं, समाज के लिए काम करता था।सामाजिक उत्थान हेतु मधनिषेध, धार्मिक बाह्य आडम्बरों का बहिष्कार, शिक्षा प्रसार, महिला जागृति इत्यादि के द्वारा भविष्य के लिए आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। आगे चलकर 14, अप्रैल 1984 को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की विधिवत घोषणा की गई।

इस प्रकार अछूत समाज सुधारकों एवं चिंतको द्वारा 19 वीं एवं 20 वीं शताब्दी में अछूतोद्वार के सामाजिक आन्दोलनों का प्रभाव अछूतों पर व्यापक रूप से पड़ा। सदियों से सभी प्रकार के अधिकारों से अछूतों को वंचित रखा गया था, लेकिन जोतिबा फुले, नारायण गुरू, ई0 वी0 रामास्वामी पेरियार, स्वामी अछूतानन्द, डॉ0 अम्बेडकर एवं मा0 काशीराम द्वारा प्रभावी सामाजिक आन्दोलनों के कारण अछूतों में भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व से ही समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व आधारित लोकतान्त्रित समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता पैदा हुई। स्वतन्त्रता के पश्चात् अछूतों में भी शिक्षा, सम्मान,

स्वाभिमान के प्रति जागरूकता पैदा हुई और शिक्षा की सुलभता के कारण अछूतों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं में परिवर्तन हुआ। और उन्होंने स्वाभिमान सम्मान एवं अधिकारों के साथ अपना जीवन यापन प्रारम्भ किया।

सामाजिक आन्दोलनों से अछूतों की सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन तो हुआ लेकिन अभी भी सामाजिक सुधारकों एवं चिंतकों का समता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित समतामूलक समाज निर्माण का सपना अधूरा है।

सन्दर्भ सूची

1. (आपस्तम्ब 2–1/2/8)
2. (मनुस्मृति 10–50)
3. (ब्राह्मण ग्रन्थ तैतसीय 1–2)
4. (मनुस्मृति 11–131)
5. कुमारी मायावती, 'मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेन्ट का सफरनामा', भाग–1, (2006), बहुजन समाज पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 864.
6. कन्हैयालाल चंचरीक, 'महात्मा ज्योतिबा फुले' (1988), निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ 42।
7. कुमारी मायावती, 'मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेन्ट का सफरनामा', भाग–1, (2006), बहुजन समाज पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 865।
8. ज्योतिराव फुले 'गुलामगीरी', अनुवादक डॉ0 विमल कीर्ति, (2007), सम्यक प्रकाशन, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली, पृष्ठ 67।
9. विजय कुमार त्रिशरण, 'छत्रपति शाहू जी महाराज' (2009), गौतम बुक सेन्टर, शाहदरा, दिल्ली, पृष्ठ 13।
10. वही, पृष्ठ 15।
11. वही, पृष्ठ 18।
12. वही, पृष्ठ 18।
13. विनोद कुमार बर्मन 'पेरियार ई0 वी0 रामास्वामी', (2005), डी0के0 खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट, ॲन्टॉप हिल, मुम्बई, पृष्ठ 45।
14. वही, पृष्ठ 60।
15. वही, पृष्ठ 65–66।
16. वही, पृष्ठ 68।
17. कुमारी मायावती, 'मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेन्ट का सफरनामा', भाग–1, (2006), बहुजन समाज पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 887।
18. विजय कुमार पुजारी, 'डॉ0 अम्बेडकर जीवन और दर्शन' (2009), सम्यक प्रकाशन, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली, पृष्ठ 59।
19. वही, पृष्ठ 60।
20. वही, पृष्ठ 60।
21. वही, पृष्ठ 62।
22. के0 एल0 चंचरीक एवं डॉ0 धीर सिंह, 'भारतीय दलित आंदोलन की रूपरेखा' (2007), यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 109।
23. वही, पृष्ठ 110।
24. डी0आर0जाटव, 'डा0 अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व', (1988), समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ 164।
25. वही, पृष्ठ 220।
26. कुमारी मायावती, 'मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेन्ट का सफरनामा', भाग–1, (2006), बहुजन समाज पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 260।
27. वही, पृष्ठ 261।